कार्यालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

सूचना का अधिकार–प्रथम अपील संख्या 02/2023

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
डॉ0 जी0एल0 पुरोहित 602, मंगलदीप मैजेस्टिक, बी0आर0 बिड़ला स्कूल के सामने, झंवर रोड, जोधपुर–342011		लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर) कार्यालय हाजा।

निर्णय

दिनांक 20.03.2023

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी की टिप्पणी एवं पत्रावली का विशद परिशिलन किया गया।
3. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी–अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर को प्रेषित आवेदन/प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2022 के द्वारा "सत्यम डायग्नोस्टिक सेन्टर–एमआरआई सेन्टर–एम.डी.एम. हॉस्पीटल जोधपुर के ऑथोराईजेशन व अन्य मामलों" के संबंध में कार्यालय संभागीय आयुक्त जोधपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 27.8.22, 20.9.22, 14.10.22, 6.11.22 व स्मरण पत्र दिनांक 12.8.22 के संदर्भ में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार सूचना चाही गई थी। उक्त कम में लोक सूचना अधिकारी के प्रत्युत्तर/उपलब्ध करवायी गई सूचना से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
4. प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2022 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में संस्थित प्रकरण की पत्रावली तलब की गई एवं अपील पर टिप्पणी चाही गई।
5. अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 17.3.23 व 20.3.23 को अवसर दिये जाने के उपरांत अनुपस्थित रहे।
6. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने अपनी टिप्पणी व उसके सलग्न प्रार्थी–डॉ0 जी0एल0 पुरोहित द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2022 के

संदर्भ में दर्ज प्रकरण संख्या 130/2022 की पत्रावली प्रस्तुत कर मुख्यतः यह अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा कार्यालय संभागीय आयुक्त जोधपुर को प्रेषित/प्राप्त पत्र दिनांक 27.8.22, 20.9.22 व 6.11.22 के संदर्भ में इस कार्यालय स्तर से की गई कार्यवाही की सूचना प्रार्थी को जरिये पत्र क्रमांकः 18 दिनांक 1.2.23 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। प्रार्थी द्वारा आवेदन/प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं0 1 में उल्लेखित पत्र दिनांक 14.10.22 एवं 12.8.22 इस कार्यालय को प्रेषित/प्राप्त नही होने से सूचना अवांछनीय है। बिन्दु सं. 2 की सूचना प्रश्नात्मक होने से राज्य सरकार के परिपत्रानुसार देय नही है तथा प्रकरण में नोटशीट संधारित नही होने से बिन्दु सं. 3 की सूचना शून्य व बिन्दु सं. 4 में इस कार्यालय स्तर से सूचना वांछित नही है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारीज फरमाने का आग्रह किया गया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज विनिश्चय प्रदत्त है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थी–अपीलार्थी के आवेदन/प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2022 के संदर्भ में जरिये पत्र क्रमांकः 05 दिनांक 19.1.23 द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यालय में उपलब्ध रेकर्ड अनुसार निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरांत सूचना प्रदायगी हेतु सूचित कर दिया गया था। उक्त क्रम में प्रार्थी को जरिये पत्रांक 18 दिनांक 1.2.23 द्वारा कार्यालय में उपलब्ध सूचना भी प्रेषित की जा चूकी है।

8. जहां तक प्रार्थी द्वारा आवेदन/प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2022 के बिन्दु सं0 1 में उल्लेखित पत्र दिनांक 14.10.22 एवं 12.8.22 की प्रेषिति/प्राप्ति का प्रश्न है, जो स्वयं प्रार्थी द्वारा आवेदन के संलग्न प्रेषित उक्त पत्रों की छांया प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ये दोनो पत्र इस कार्यालय को संबोधित अथवा पृष्ठांकित नही होने से इनकी सूचना वांछनीय नही है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने के कारण, प्रस्तुत अपील खारीज की जाती है।

9. प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा को राय दी जाती है कि इस प्रकार के मामलों में आवेदक को बिन्दुवार, यथा सूचित किया जाना उचित रहता है।

10. पत्रावली बाद निर्णय, नम्बर से कम की जावे तथा निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा को प्रेषित की जावे।

क्रमांक : डीसी कोर्ट/170-71 दिनांक 20/3/23
प्रति : (1) डॉ० जी० एल० पुरोहित को सूचनार्थ
(2) कनि० संभागीय आयुक्त, कार्या० हाजा को मय पत्रावली सहित प्रेषित है।

रीडर
डिविजनल कमिश्नर

20/3/23
(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर